न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 10/11 व 2011/00030

1. लाल खां पुत्र हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. फरीद खां पुत्र हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अपीलांट

बनाम

1. बाखां पत्नी खाना उर्फ खानू खां जाति मुसलमान निवासी चक 5 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।,
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

.... रेस्पोडेन्ट

3. करीम खां पुत्र हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. फातमा खातून पुत्री हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. हैदर खां पुत्र हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. रमजान खां पति श्री जोरा खातून जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. रहीमा खातून पुत्री श्री जोरा खातून जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. अलादिता पुत्र श्री जोरा खातून जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाश्कगण :–

1. श्री नरेन्द्र गौड़ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री गिरधारीलाल रामावत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टान 1,3, 5 ता 8 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक..................**

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पे ा की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि अपीलांट की माता

हसीना खातून पत्नि हाकम खां को चक 8 केएलडी के मु0न0 18/11 के किला नं0 1 ता 20 की 20 बीघा भूमि पुख्ता आंवटन खातेदारी थी।

और इसी मुरब्बा के किला नं0 21 ता 25 में 5 बीघा भूमि बतौर स्मालपैच आंवटन होकर खातेदारी हुई जो माता के स्वर्गवास प चात इतकाल सं0 240 दिनांक 20.05.2011 के द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेट सं0 3 ता 8 के नाम से विधिवत दर्ज हुई। जिसमें इन्तकाल सं0 240 को दिनांक 06.06.2011 द्वारा पु त पर किला नं0 21 ता 25 की 4.7 बीघा कम करते हुए पुनः स्वीकृत किया और हवाला दिया की उक्त भूमि इन्तकाल सं0 237 से रेस्पोडेट सं0 1 के नाम दर्ज है जो जरिये बैयनामा दिनांक 26.06.1999 को मु0आम द्वारा करवाया गया है। जो आधारहीन है बैयनामा वर्ष 1999 में हुआ और उसका जैरअपील आदे ा 20.05.2011 को लम्बी अवधि बाद दर्ज हुआ जो एकतरफातोर पर किया गया जो क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया गया है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पे ाकर अपील अन्दर मियाद भुमार कर स्वीकार करने का अनुतोश चाहा है।

अपील पे ा होने पर रिपोर्ट प चात दर्ज रजिस्टर की गई। तामिल प चात दिनांक 30.11.2011 को रेस्पोडेट सं0 1,3 5 ता 8 मय अधिवक्ता उपस्थित आये एवं 19.11.2012 को रेस्पोडेट 4 व 7 ने लिखित कथन पे ा किया पत्रावली वास्ते बहस जैरकार रही इसी दौरान लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट कुंडल में दिनांक 15.06.2016 को पारिवारिक समझौते अनुसार विड्रो का प्रार्थना पत्र पे ा किया जो बाद दिनांक 14.07.2016 को रिव्यू किया गया रेस्पोडेट सं0 1 व 3, 5 ता 8 की ओर से लिखित बहस पे ा हुई एवं दिनांक 31.10.2019 को अंतिम अवसर देकर बहस दिनांक 21.11.2019 को स्वतः बहस सुनी समझी जाकर निर्णय हेतु रखी गई।

न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व जैरअपील आदे ा का घ्यानपूर्वक से अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट ने बताया कि उक्त जैरअपील आदे ा एकतरफातोर पर पारित हुआ है और दिनांक 27.06.2011 को रेस्पोडेट के द्वारा धमकी देने पर ही जानकारी हुई और जानकारी के अन्दरमियाद अपील पे ाकर अन्दर मियाद भुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर भापथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद भुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपील अपीलांट ने बहस में अपील के कथनों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है वहीं रेस्पोडेट ने लिखित बहस पे ा कर अपील निरस्त करने की इस्तदुवा की है और लिखित बहस में रेस्पोडेट ने बताया रेस्पोडेट सं0 1 ने दिनांक 26.06.

1999 से जरिये बैयनामा जैरअपील भूमि खरीदकर कब्जा ले लिया था और जैरअपील आदे ा अधीनस्थ न्यायालय ने जरिये बैयनामा तस्दीक कर दिया।

जिसपर निरंतर रेस्पोडेट सं0 1 काबिज का त है तथा हसीना खातून के वारिस रेस्पोडेंट 3, 5 ता 8 ने भी उक्त बैयनामे पर सहमति दी है तथा रेस्पोडेंट ने R.R.T. 2003 (1) Page 647 व R.R.T. 2012 (1) Page 374 व R.R.T. 2001 (2) Page 1238 व R.R.T. 2003 (2) Page 1034 आदि न्यायिक दृश्टांत का हवाला दिया है। इसप्रकार अपीलांट केवल इस आधार पर अनुतोश चाह रहे है कि जैरअपील आदे ा लम्बी अवधि बाद दर्ज हुआ है तथा एकतरफातोर पर बिना अपीलांट को सुने बैयनामा के आधार पर जैरअपील आदे ा गलत दर्ज हुआ है। जो कायम रखने योग्य नहीं है। पत्रावली में वर्णित कथनों व दोनों पक्षकारों के दस्तावेजों से स्पश्ट है कि अपील अपीलांट जैरअपील आदे ा को केवल इस आधार पर चुनौती दी गई है कि लम्बी अवधि बाद बैयनामा के आधार पर जो इंतकाल तस्दीक किया गया है, उचित नहीं है। जबकि नामान्तकरण सरसरी कार्यवाही है जबतक भूमि के क्रेता के अधिकार बने रहेगे तथा संक्षिप्त कार्यवाही से किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को पेडिंग नहीं रखा जा सकता तथा उक्त जैरअपील आदे ा बैयनामा दिनांक 26.06.1999 की पालना में दर्ज किया गया है। बैयनामा सही है या गलत उसकी विवेचना न्यायालय हाजा करने में सक्षम नहीं है। वैसे भी न्यायालय अपर जिला न्यायाधी ा सं0 3 बीकानेर प्रकरण सं0 9/14 द्वारा अपीलांट का सिविल वाद बैयनामा निरस्त करने का वाद दिनांक 19.09.2018 से खारिज किया जा चुका है ऐसी स्थिति में बैयनामा आजदिनांक तक कायम है। जैरअपील आदे ा में सारभूत या कानूनी त्रुटि नजर नहीं आ रही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदे ा इंतकाल सं0 237 दिनांक 20.05.2011 को कायम रखा जाता है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज की जाती है पत्रावली फैसल– ुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)